रजिस्ट्री सं. डी. एल.-33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 601] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 24, 2000/अग्रहायण 3, 1922
No. 601] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 24, 2000/AGRAHAYANA 3, 1922

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 नवम्बर, 2000

सा.का.नि. 898 (अ).— केन्द्रीय सरकार, प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 13) की धारा 35 और 36 क, द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महाराष्ट्र प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों का वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1986 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम महाराष्ट्र प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों का वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें) संशोधन नियम, 2000 है ।

(2) ये 1 जनवरी, 1996 को प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे ।

2. महाराष्ट्र प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों का वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1986 के नियम 8 के उपनियम (2) में "या इसके

किसी भाग के लिए सात सौ रुपए प्रतिवर्ष की दर पर संगणित की जाएगी और अधिकरण में सेवा वर्ष की संख्या पर ध्यान दिए बिना पेंशन की अधिकतम रकम 3500 रुपए प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगी' शब्दों के स्थान पर "के लिए चार हजार सात सौ सोलह रुपए प्रतिवर्ष की दर पर संगणित की जाएगी : " शब्द रखे जाएंगे ।

स्पष्टीकारक ज्ञापन

केन्द्रीय सरकार ने, महाराष्ट्र सरकार की सिफारिशों पर, महाराष्ट्र प्रशासनिक अधिकरण के सदस्यों की पेंशन 1 जनवरी, 1996 से पुनरीक्षित करने का विनिश्चय किया है । तद्नुसार, नियम 8 के उपनियम (2) के उपबंध भूतलक्षी प्रभाव से, अर्थात् 1 जनवरी, 1996 से, संशोधित किए जा रहे हैं । यह प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित संशोधन को भूतलक्षी प्रभाव दिए जाने से किसी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ रहा है ।

[ए-11014/9/99-ए.टी.]

आर.के. टण्डन, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण : मूल नियम सा.का.नि. 1157 (अ), तारीख 21 अक्तूबर, 1986 द्वारा अधिसूचित किए गए और तत्पश्चात् निम्नलिखित संख्याओं द्वारा संशोधित किए गए :—

(1) सा.का.नि. 71 (अ) तारीख 30 जनवरी, 1992.

(2) सा.का.नि. 288 (अ) तारीख 1 मार्च, 1994.

(3) सा.का.नि. 565 (अ) तारीख 8 सितंबर, 1998.

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th November, 2000

G.S.R. 898(E).— In exercise of the powers conferred by sections 35 and 36A of the Administrative Tribunals Act, 1985 (13 of 1985), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Maharashtra Administrative Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairman and Members) Rules, 1986, namely:-

1 (1) These rules may be called the Maharashtra Administrative Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairman and Members) Amendment Rules, 2000.

(2) They shall be deemed to have come into force on the 1st day of January, 1996.

2. In rule 8 of the Maharashtra Administrative Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairman and Members) Rules, 1986, in sub-rule (2), for the portion beginning with the words " rupees seven hundred per annum" and ending with the words "rupees three thousand five hundred per annum", the words " rupees four thousand seven hundred and sixteen per annum for each completed year of service " shall be substituted.

EXPLANATORY MEMORANDUM

On the recommendations of the Government of Maharashtra, the Central Government decided to revise the

pension of Members of the Maharashtra Administrative Tribunal with effect from the 1st day of January, 1996. Accordingly, the provisions of sub-rule (2) of rule 8 are being amended from a retrospective date that is 1st January, 1996. It is certified that no one is being affected adversely by the proposed amendment being given retrospective effect.

[A-11014/9/99-AT]

R. K. TANDON, Jt. Secy

Foot note :— **The principal rules were notified vide number G.S.R. 1157(E), dated the 21st October, 1986 and subsequently amended vide number,--**

(1) G.S.R. 71(E), dated the 30th January,1992.
(2) G.S.R. 288(E),dated the 1st March,1994.
(3) G.S.R. 565(E), dated the 8th September,1998.

Printed by the Manager, Govt of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054